रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 427] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 30, 1984/कार्तिक 8, 1906
No. 427] NEW DELHI, TUESDAY, OCT. 30, 1984/KARTIKA 8, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

C. Flow 13.12.84

भारतीय प्रेस परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली 30 अक्तूबर, 1984

सा० का० नि० 748(अ).—भारतीय प्रेस परिषद् प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 (1978 का 37) की धारा 5 की उपधारा (4) के अनुसरण में, उक्त धारा की उपधारा (3) के खंड (क) और खंड (ख) में निर्दिष्ट पत्रों के निम्नलिखित व्यक्ति संगम और खंड (ग) के प्रयोजनों के लिए समाचार अभिकरणों को अधिसूचित करती है अर्थात —

(1) धारा 5 की उपधारा (3) के खंड (क) में निर्दिष्ट पत्रों के व्यक्ति संगम —

(1) इंडियन फेडरेशन आफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स,
(2) दि नेशनल यूनियन आफ जर्नलिस्ट्स (I)
(3) दि प्रेस एसोसिएशन.

} समाचारों में भिन्न श्रमजीवी पत्रकारों के प्रतिनिधि निकायों के रूप में ।

(1) दि एसोसिएशन ऑफ न्यूजपेपर एडीटर्स कान्फ्रेंस, और } संपादकों के प्रतिनिधि निकायों के रूप में।
(2) दि एडीटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया }

(II) धारा 5 की उपधारा (3) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रवर्गों के व्यक्ति संगम :—

(1) दि इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स, न्यूजपेपर सोसाइटी, } बड़े, मध्यम और छोटे समाचार-पत्रों के
(2) दि इंडियन लैंग्वेजेज न्यूज पेपर एसोसिएशन } स्वामियों और प्रबन्ध के प्रतिनिधि संगठनों के रूप में।

(3) आल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम न्यूज-पेपर्स एसोसिएशन और } मध्यम और छोटे समाचार-पत्रों के स्वामियों
(4) आल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम न्यूज-पेपर्स फेडरेशन। } और प्रबन्ध के प्रतिनिधि संगठनों के रूप में।

(III) धारा 5 की उपधारा (3) के खंड (ग) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के प्रवर्गों में से किसी व्यक्ति को नाम निर्दिष्ट करने के प्रयोजन के लिए समाचार-पत्र अभिकरण :—

(1) प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया,

(2) यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया,

(3) हिंदुस्तान समाचार, और

(4) समाचार भारती।

[फा० सं० 19/2/84-सचिवालय]

वी. पी. मलिक, सचिव
भारतीय प्रेस परिषद्

PRESS COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th October, 1984

G.S.R 748(E):—In pursuance of sub-section(4) of section 5 of the Press Council Act, 1978 (37 of 1978), the Press Council of India hereby notifies the following associations of persons of the categories referred to in clause (a) and clause (b) and news agencies for the purpose of clause (c), of sub-section (3) of that section, namely:—

(I) Associations of persons of category referred to in clause (a) of sub-section (3) of section 5 :—

(1) Indian Federation of Working Journalists, } As representative bodies of
(2) The National Union of Journalists (I), } working journalists other than
(3) The Press Association, } editors.

(4) The All India Newspapers Editor's Conference, and } As representative bodies of editors.
(5) The Editors' Guild of India. }

(II) Associations of persons of category referred to in clause (b) of sub-section (3) of section 5 : -

(1) The Indian and Eastern Newspapers, Society (2) The Indian Languages Newspapers Association,	As representative organisations of owners and managements of big, medium and small newspapers
(3) All India Small & Medium Newspapers Association and (4) All India Small & Medium Newspapers Federation	As representative organisations of owners and managements of medium and small newspapers

(III) News agencies for the purpose of nominating a person from the category of persons referred to in clause (c) of sub-section (3) of section 5 .—

(1) The Press Trust of India,
(2) The United News of India,
(3) The Hindustan Samachar, and
(4) The Samachar Bharati.

[F No 19/2/84-Sectt.]

V P. MALIK, Secy.
Press Council of India

PRINTED BY THE MANAGER GOVT OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI 110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984